

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 867 10 Kartik, 1941(S)

Ranchi, Friday, 1st November, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. -15/2019 - State Tax(Rate)

S.O. No- 83 Dated- 1st November, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

(ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"114C	46	Plates and cups made up of all kinds of
		leaves/ flowers/bark";

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st day of October, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar, Secretary-cum-Commissioner.

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 25/2018-State Tax (Rate), dated 24th January, 2019 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 3, dated the, 24th January, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संo. 15/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 83 दिनांक 1 नवम्बर, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";
------	------	--------------

(ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और
		कप्स";

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 3, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
